**भारत सरकार**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय**

**स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 1134**

उत्तर देने की तारीखः 16.12.2013

**मध्याह्न भोजन योजना का दायरा**

**1134. श्री मोती लाल वोराः**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) स्कूली बच्चों को मिड डे मील देने की योजना किस वर्ष से शुरू की गई है;

(ख) क्या यह सच है कि वर्तमान में देशभर में सभी स्कूलों में मिड डे मील नहीं दिया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सभी स्कूली बच्चों को मिल डे मील कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(डा. शशि थरूर)**

**(क) से (घ) :** मध्याह्न भोजन योजना, केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में 15 अगस्त, 1995 से प्रारंभ की गई थी। इस समय, इस योजना में सभी सरकारी, सरकार से सहायता प्राप्त, स्थानीय निकाय और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सहायता प्राप्त गारंटी योजना के स्कूलों और वैकल्पिक और नवाचारी शिक्षा केंद्रों, जिनमें मदरसे और मकतब भी शामिल हैं, में कक्षा-I-VIII तक में पढ़ रहे बच्चों को शामिल किया जाता है। वर्तमान में गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के बच्चों को शामिल करने का कोई प्रावधान नहीं है।

\*\*\*\*\*